

Order Sheet

CNR NUMBER

of comp
ne Order
..... at

ind of the Case

Number of Case Year

Versus

Order with initials of Presiding Officer

Brief note of compliance
of the Order

18/6/24

पत्रावली पेश हुई।
सादी/प्रतिवादी अधिययता उपरिष्ठा/अनुपस्थित।
पत्रावली में उक्त पत्रावली का निर्णय नहीं होने को कारण
इत्यादि कोर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 18/6/24 को पेश हो।

18/06/24 पत्रावली पेशा वकील प्रार्थी उप-
वावजूद तामिल प्रार्थीगणों की और से
कोई उप. नहीं प्रार्थीगणों के विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। एकपक्षीय
बदल सुनी गई। मुताबिक बदल अर्चि प्रार्थी
- " ख. सं. 535 (03 बीघा 13 बिस्वा) प्रार्थीगणों
के कब्जे एवं खातेदारी की भूमि है। उक्त
भूमि के पड़ोस में कुआ है, जिससे सिंचाई
करते हैं। कुएं का जल स्रोत ख. सं. 574
में बह रही नदी है। नदी की बजरी से
जल-स्तर सही रहता है। नदी की कुछ
बजरी प्रार्थी के खेत में आ गई है।
प्रार्थी सं. 03 द्वारा प्रार्थी की भूमि से
बजरी खनन की धमकी दी गई है। अतः
प्रार्थीगणों को पाबंद किया जावे कि
वे विवादित भूमि में खनन ना करें।"
उपरोक्त बदल, तथ्यों, दस्तावेजों
के आधार पर प्रार्थी का प्रा. पत्र आंशिक
रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत
जमाबंदी, खसरा गिरदावरी के अनुसार
ख. सं. 535 (03'13") भूमि में प्रार्थी
succeeded खातेदार हैं एवं फसल बुवाई
करते आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला,

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case

Year

Versus

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes of
	<p>सुविधा संतुलन, अपूरणीय सति तीनों बिंदु अपूरणीय प्रार्थी के पक्ष में तय होते हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अवैध खनन रोकना जाना न्यायोचित है अतः अप्रार्थीगिर्णों को जरिद अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ताफैलला मूलवाद विवादित भूमि में किसी प्रकार का खनन ना करें। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैलल शुमार होकर कारिबल- पफतर ही।</p>	

Prinjal
 सहायक कलक्टर
 (कारिबल डेक) जेवापुर

